राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 95 / 2024

शंकर लाल बैरवा —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव (ग्रुप–I), राजस्व, राजस्थान, जयपुर।
3. निबंधक, (रजिस्ट्रार), राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 04.03.2024
आदेश की दिनांक : 07.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोपाल लाल आचार्य, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश (संशोधित)

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर दिनांक 18.06.2012 (अनुलग्नक–1) को हुई थी। अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार हल्का सावा, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जिला भीलवाड़ा में 100 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसी भी कार्मिक का स्थानान्तरण एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानान्तरण किया जा सकेगा परन्तु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानान्तरण निम्न परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा :– कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो, जो प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टयाः सही पाई गई हो या कर्मचारी की पदोन्नति होने पर। जहां तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा। अपीलार्थी के स्थानान्तरण में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ना ही तो अपीलार्थी के खिलाफ कोई विभागीय जांच लंबित है और ना ही अपीलार्थी को पदोन्नत किया गया है। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 727 / 2019 रणजीत कुमार, 728 / 2019

राजेन्द्र सिंह एवं 730/2019 दशरथ सिंह बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश 20.11.2019 का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण भी समान बताया है। अपीलार्थी के बच्चे चितौड़गढ़ में ही अध्ययनरत है। अगर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाता है तो अपीलार्थी बच्चों के अध्ययन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को पटवारी के पद पर पटवार हल्का सावा, तहसील भदोसर, जिला चित्तौड़गढ़ में कार्य करने दिया जावे।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। विद्वान् अभिभाषक ने जाहिए किया कि स्थानान्तरण एवं यात्रा भत्ता नियमानुसार देय होने के उपरान्त भी अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधि अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जोवे।

5. अतः अक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य